1·6

:: प्रारुप–30 ::

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Pithoragarh**

No

Dated 2.12.2014.

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.5375** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer PMGSY Division PWD Pithoragarh** for **Gangolihat-Rankot Upreti Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Rankot Upreti** village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.5375** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30.1** to annexure **30.4**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

(P. Arya)

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

1·6

:: प्रारुप–30.1 ::

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~. **H.C. Semwal**, I.A.S deputy commissioner,. ..Pithoragarh.............. on dated ..2-12-2014at time ..11:00 AM at **Pithoragarh** in which application claiming rights in **Rankot Upreti** area measuring **1.5375** hect for the construction of **Gangolihat-Rankot Upreti Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Gangolihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pithoragarh
Dated:.2-12-2014.

(P. Arya)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

1·6

:: प्रारुप–30.2 ::

परियोजना का नाम :–

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत गंगोलीहाट - रनकोट उप्रेती ———— (——हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.2355 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ——हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.2355 हे0 वन भूमि) का PMGSY, PWD Pithoragarh प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक 17-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री टी० एस० मर्तोलिया उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट अध्यक्ष
2– श्री मुकेश जोशी उप प्रभागीय वनाधिकारी गंगोलीहाट सदस्य
3– श्री के० डी० पन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी गंगोलीहाट सदस्य/सचिव
4– श्री हेमा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कुन्तोला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गंगोलीहाट - रनकोट उप्रेती परियोजना हेतु 1.2355 हे0 वन भूमि पी०एम०जी० एस०वाई० लो०नि०वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गंगोलीहाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत गंगोलीहाट - रनकोट उप्रेती परियोजना के निर्माण हेतु 1.2355 हे0 वन भूमि PMGSY PWD पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सदस्य
क्षेत्र- कुन्तोला
क्षेत्र पंचायत गंगोलीहाट
पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ़